


सूचना

एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत प्रयागराज मण्डल में चयनित अभ्यर्थियों हेतु सूचना-

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज की नोटिफिकेशन सं० ZN-01/2024 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी जिन्हें प्रयागराज मण्डल आवंटित किया गया है। दस्तावेज सत्यापन / प्रशिक्षण हेतु बुलावा पत्र पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जा चुके हैं।

- 1) तिथिवार सूची पत्र के साथ अपलोड किया गया है।
 - 2) सूचना पत्र में अंकित निर्देशों के अनुसार सभी प्रपत्र तैयार कर साथ लाये ।
 - 3) शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रमाण पत्र / मेडिकल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रशिक्षण में नहीं भेजा जायेगा ।
- उपरोक्त के अतिरिक्त आगे की सूचना के लिए मण्डल की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।


(रवि कुमार मीना)

सहायक कार्मिक अधिकारी/यांत्रिक

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

Assistant Personnel Officer
N.C. Railway, Prayagraj

शपथ पत्र का प्रोफार्मा - अभ्यर्थी इस शपथ पत्र को बनाकर लाये ।

समक्ष

मण्डल रेल प्रबन्धक
उ०म०रे०/प्रयागराज

मैं शपथकर्ता _____ वत्स श्री _____ साकिन मकान
सं० _____ ईश्वर की शपथ लेकर निम्नलिखित बातों की घोषणा करता हूँ जो सही है :-

1. यह कि मेरा नाम _____ है, मेरे पिता का नाम श्री _____
है, मैं मकान नं० _____ जिला _____ का निवासी हूँ।
2. यह कि मेरी जन्मतिथि _____ है। मेरी शैक्षिक योग्यता _____
एवं तकनीकी योग्यता _____ है।
3. यह कि मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का आपराधिक वाद किसी भी थाने में दर्ज नहीं है और न ही
किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद से सम्बन्धित मुकदमा विचाराधीन है।
4. मेरा चयन अप्रैन्टिस एक्ट 1991 के अन्तर्गत मात्र एक वर्ष के लिये प्रशिक्षण हेतु किया गया है मैं
पूरी लगन के साथ प्रशिक्षण पूरा करूँगा/करूँगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात् भविष्य में कभी
भी रेलवे में नियुक्ति हेतु दावा नहीं करूँगा / करूँगी।
5. मेरे द्वारा दी गयी सभी जानकारी, सभी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रपत्र सही है,
यदि इनमें कोई कभी या विरोधाभास पाया जाता है, तो उसके लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा
तथा प्रशिक्षण हेतु चयन बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाये तथा रेल प्रशासन द्वारा
मेरे पक्ष में भुगतान की गयी सभी राशि की वसूली की जाये। इनके साथ ही प्रशासनिक व
आपराधिक मामलों के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

मैं शपथकर्ता उपरोक्त वहलफ तसदीक करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 लगायत (5) मेरी
निजी जानकारी में सच व सही है, इसमें न कुछ झूठ है और न ही कुछ छुपाया गया है।

दिनांक -

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

1. अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं स्व-प्रमाणित तथा उसकी एक प्रति राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर अपने साथ अवश्य लायें ।
 - (a) सभी शैक्षिक / तकनीक योग्यताओं (10वीं स्तर) के अंकपत्र / प्रमाण पत्र ।
 - (b) ITI की मार्फसीट और NCVT द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ।
 - (c) जन्मतिथि का प्रमाण पत्र (10वीं पास का प्रमाण पत्र) जन्मतिथि का प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी ।
 - (d) अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0जा0 के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, अपिजा के अभ्यर्थियों के लिये भारत सरकार के अधीन सेवाओं के लिये लागू जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो एक वर्ष से अधिक पुराना न हो ।
 - (e) दो चरित्र प्रमाण पत्र जिसे अलग - अलग दो राजपत्रित अधिकारी ने जारी किया हो, साथ लायें ।
 - (f) EWS/PH कैटेगरी में चयनित अभ्यर्थी प्रमाण पत्र साथ लायें ।
 - (g) आवेदन पत्र पर चिपकाये गये फोटो के समरूप एक ही प्रकार के दस फोटो प्रतियां लाना है ।
 - (h) RRC/ALD वेबसाइट में अपलोड किये गये चिकित्सा प्रोफार्मा में सरकारी चिकित्सालय से पूर्ण कराकर प्रस्तुत करें, चिकित्सा प्रमाण पत्र के अभाव में ट्रेनिंग में नहीं भेजा जायेगा ।
2. इस पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के प्रारूप के अनुसार हलफाना बनवाकर मूलरूप से लायें एवं वायोडाटा के भरकर साथ लायें ।
3. मांगे गये वैध दस्तावेजों के साथ, दस्तावेज सत्यापन केन्द्र पर समय से पहुँच इसके अभाव में आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी ।
4. दस्तावेज सत्यापन केन्द्र / दस्तावेज सत्यापन की तिथि में परिवर्तन हेतु किसी प्रकार का अनुदेश स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
5. अभ्यर्थियों को आने जाने एवं ठहरने इत्यादि के लिये सभी खर्च स्वयं वहन करने होंगे । आवश्यक होने पर कार्मिक शाखा में अगले दिन भी बुलाया जा सकता है । तदनुसार इलाहाबाद में एक या दो दिन रुकने के लिये तैयार होकर आयें ।
6. अभ्यर्थी अपने साथ पैन कार्ड तथा कोर बैंकिंग का डिटेल (IFSC/MICR CODE) अपने साथ अवश्य लायें ।
7. दस्तावेज सत्यापन हेतु किसी अभ्यर्थी को बुलाने मात्र से ही किसी भी प्रकार का उसे रेलवे में एक्ट अप्रैन्टिस के अर्न्तगति प्रशिक्षु का हक नहीं प्राप्त हो जाता ।
8. अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि सही हो । इसके अभाव में उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी ।
9. प्रवेश पत्र पर पासपोर्ट साइज की फोटो लगायें तथा हस्ताक्षर ऐसा करें कि हस्ताक्षर का कुछ भाग फोटो और प्रवेश पत्र दोनों पर आ जाये अन्यथा अभ्यर्थी को वेरीफिकेशन में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
10. अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि एक्ट अप्रैन्टिस प्रशिक्षण हेतु चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अयोग्य पाये जाने पर या जन्मतिथि सम्बन्धित साक्ष्य गलत पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में उनके द्वारा की गयी घोषणा गलत अथवा अपूर्ण पाये जाने पर उनकी पात्रता समाप्त करने अथवा प्रशिक्षण हेतु इंगेजमेन्ट हो जाने पर उनकी इंगेजमेन्ट समाप्त करने का अधिकार रेल प्रशासन को है ।
11. किसी भी प्रकार की सिफारिश किये जाने पर या किसी प्रकार के कदाचार में लिप्त पाये जाने पर अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उम्मीदवार अयोग्य घोषित होगा ।
12. किसी भी समय यदि आपकी पात्रता गलत पायी जाती है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।
13. सभी प्रकार के मामलों में रेल प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा ।
14. उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त हो जायेगी ।

इस प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी रेलवे के द्वितीय श्रेणी में निकटतम रेलवे स्टेशन से दस्तावेज सत्यापन केन्द्र तक तथा वापसी की यात्रा मुफ्त के लिये पात्र होंगे ।

नोट :- 1. एक्ट अप्रैन्टिस के अर्न्तगत अभ्यर्थी का चयन केवल एक 01 वर्ष की ट्रेनिंग के लिये है ।

2. इस काललेटर के अतिरिक्त कृपया NCR/PRYJ मण्डल की वेबसाइट का भी अवलोकन करते रहें तथा उसमें दिये गये निर्देश के अनुसार कार्य करके ही मण्डल कार्यालय में निर्धारित तिथि पर आयें ।

HEAD OF EDUCATIONAL INSTITUTION LAST ATTENDED OR GAZATTED OFFICER

Certified that I know Shri/Smt/Kumari _____ son/ daughter of Shri _____ from the last _____ years _____ months and that to the best of my knowledge and belief he/she bears reputable character and has no antecedents which may render him/her unsuitable for Government employment.

Signature
Designation
Seal

~~A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-X-X-X-A-A-X~~

CHARACTER CERTIFICATE

(For Group C Non-sensitive Service)

Certified that I know Shri/Smt/Kumari _____ son/ daughter of
Shri _____ from the last _____ years _____ months and that
to the best of my knowledge and belief he/she bears reputable character and has no antecedents
which may render him/her unsuitable for Government employment.

Signature
Designation
Seal

FORMAT B

(17)

बायोडाटा - इसे अभ्यर्थी स्वयम् भरकर साथ लाये

- 1 नाम _____
- 2 पिता का नाम _____
- 3 जन्मतिथि _____
- 4 जाति..... उपजाति..... SC / ST / OBC / UR
- 5 पता _____
_____ पिन न0 _____
- 6 आधार नम्बर.....
- 7 पैन नम्बर.....
- 8 मोबाइल नम्बर

पहचान चिन्ह - तिल और मस्सा का उल्लेख नहीं करना है

- 1
- 2

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

SCHEDULE-II (See Rule 4)

Medical Fitness Certificate for Standard of physical fitness for Act
Apprentice Training in North Central Railway

Name of the Candidate -
 Father Name -
 Category -
 Date of Birth/Age - Trade &
 Name of Workshop/Unit -
 Permanent identification marks

Recent passport size
photo as uploaded in
Application Form

Photo to be attested by
Medical Officer

1.
 2.

SN	Standard of physical fitness	Observation of Medical Officer
1	A candidate should be free evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public. He should also be free from evidence of tuberculosis in any form, active or healed.	
2	<u>Height, Weight And Chest-</u> Candidates should satisfy the following minimum standards, namely:- Height : 137 centimetres; Weight: 25.4 Kilogram; Chest expansion should not be less than 3.8 centimetres irrespective of size of chest: Provide that where a candidate does not satisfy the said minimum standards but is certified in writing by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon (Gazetted), to be physically fit for being engaged as an apprentice in a particular trade under the Apprentices Act, 1961, he may be engaged as an apprentice in that trade.	
3	<u>EYES</u> There should be no evidence of any morbid condition of either eye of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation of recurrence. Standard of Vision (A) Visual acuity: *Candidates having vision in one eye shall eligible to undergo apprenticeship training except in the following seventeen trades, namely:- (1) Electrician Aircraft (2) Watch and Clock mechanic (3) Driver cum Fitter (4) Surveyor (5) Process Cameraman (6) Sirdar (7) Rigger(Engg. & Chem. Industry) (8) Short firer/Blaster(Mines) (9) Mate(Mines) (10) Mech. Radio & Radar Aircraft (11) Ceramic Modular (12) Ceramic Caster (13) Ceramic Kiln Operator (14) Ceramic Press Operator (15) Ceramic Modeller (16) Ceramic Decorator (17) Optical worker. * Substituted vide GSR 221 dated 21st April 1993. (B) Colour vision: Not required	
4	<u>EARS</u> Hearing must be good in both ears and there should be no sign of suppurative disease. No hearing aid shall be permitted.	
5	<u>SKIN</u> There should be no evidence of acute or chronic skin disease or chronic ulceration.	
6	<u>SPEECH:</u> Speech should preferably be without impediment.	

7	<u>ALIMENTARY SYSTEM:</u> 1. Candidates should have sufficient number of natural teeth (in healthy state) for mastication.	
	2. Spleen should not be palpably enlarged and there should be no evidence of tenderness in the splenic area. 3. Liver should not be palpable or tender. 4. There should be no oral sepsis. 5. There should be no sugar in the urine. 6. Candidates should not be suffering from hemorrhoids, fissures in and testis anal hernia or bubonocoele or Ischia-rectal abscess or hydrocele.	
8	<u>CARDIO VASCULAR SYSTEM:</u> 1. Blood pressure should not exceed 85 diastolic and 140 systolic. 2. Candidates with low blood pressure (i.e. systolic below 100) should be rejected. 3. There should be no sign of any cardiovascular disease.	
9	<u>RESPIRATORY SYSTEM:</u> Candidates should be free from all diseases of respiratory system. There should be no deformity of chest which may cause impediment to breathing.	
10	<u>GENITO URINARY SYSTEM</u> There should be no evidence of genito urinary disease or any abnormality.	
11	<u>SKELETAL SYSTEM:</u> 1. The function of all limbs should be within normal limits. 2. There should be no evidence of serious deformity of the spinal column or of the extremities.	
12	<u>NERVOUS SYSTEM:</u> There should be no evidence of any disease of nervous system or of any mental disease.	
13	<u>GLANDULAR SYSTEM:</u> There should be no evidence of tuberculosis or other disease of the glandular system including the endocrine glands.	

Above medical fitness certificate should be signed by Government authorized Doctor (Gaz), not below rank of Asst. Surgeon of Central/State Hospital.

Signature of Medical Officer

Name of Medical Officer

Registration No.

Designation

Name of Central/State Govt. Hospital

Seal of Medical Officer signing the certificate.....

(Should be printed on both side of the paper.)